ई–मेल

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः शिविर/ 5124-5222 /2026–27 दिनांक 08 मई, 2026

विषयः **शैक्षणिक संस्थानों में नशा मुक्त भारत अभियान के कार्यान्वयन हेतु 03 वर्षीय कार्ययोजना के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ संख्याः DGSE No 2749 दिनांक 29 मार्च, 2026 के माध्यम से प्राप्त निदेशक, नीति विश्लेषण और सामुदायिक सहभागिता अनुभाग, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्याः 28-1/2026-PACE-Part (1) दिनांक 24 मार्च, 2026 **(छायाप्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में नशा मुक्त भारत अभियान के कार्यान्वयन हेतु 03 वर्षीय कार्ययोजना एवं सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्याः 28-1/2026-PACE-Part (1) दिनांक 20 मार्च, 2026 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए कार्ययोजना का अनुपालन कराये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं।

2– सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 20 मार्च, 2026 में मुख्य रूप से निम्न तथ्यों का उल्लेख हैः–

1. बच्चों और युवाओं में नशीले पदार्थों का सेवन देश में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक चिंता के रूप में उभरा है, जिसके लिए समन्वित और निरंतर हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से AIIMS द्वारा किए गए "भारत में नशीले पदार्थों के उपयोग का विस्तार (2019)" नामक रिपोर्ट के अनुसार, नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों का एक बड़ा हिस्सा किशोर और युवा आयु वर्ग से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (GYTS–4) के अनुसार 13–15 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 8.5 प्रतिशत स्कूली छात्र किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, जो मुख्यतः नशीले पदार्थों के सेवन के अन्य रूपों की ओर ले जाने का एक माध्यम (gateway) बन जाता है। यह निष्कर्ष स्कूली शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रारम्भिक निवारक हस्तक्षेपों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
2. नार्को–कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की 9वीं शीर्ष बैठक में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की बढ़ती घटनाओं पर विचार–विमर्श किया गया। यह बैठक माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में, भारत सरकार के सभी विभागों को 2029 तक के लिए एक रोडमैप तैयार करना चाहिए और इसके कार्यान्वयन के लिए एक समय–सीमा आधारित समीक्षा तंत्र स्थापित करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि युवाओं का स्वास्थ्य, उनकी सोचने और काम करने की क्षमता, और समाज में बढ़ता असंतोष– ये सभी इस समस्या से जुड़े हुए हैं। यह घोषणा की गई कि दिनांक 31 मार्च, 2026 से शुरू होकर, सभी संबंधित विभाग मिलकर इस समस्या के खिलाफ तीन वर्ष का एक सामूहिक अभियान चलाएंगे। इस अभियान में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के सभी स्तंभों की कार्यप्रणाली को परिभाषित किया जाएगा, लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, और समय–सीमा के भीतर समीक्षाएं की जाएंगी। इसलिए, NCORD की शीर्ष बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि आगामी तीन वर्षों के दौरान, इसमें सम्मिलित सभी संबंधित पक्षों को देश में नशीले पदार्थों के खिलाफ सभी मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी, भारत को **"नशा मुक्त भारत"** बनाना होगा, और देश के युवाओं को नशीले पदार्थों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा।

3. उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में, **"नशा मुक्त भारत अभियान"** के अन्तर्गत एक व्यापक और व्यवस्थित तीन–वर्षीय कार्य योजना **(छायाप्रति संलग्न)**, शैक्षणिक संस्थानों में कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई है। इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया जा रहा है, ताकि वे इसे मिशन मोड में अपना सकें। इस कार्य योजना में, अन्य बिन्दुओं के अलावा, स्कूलों के 500 मीटर के दायरे वाले क्षेत्र को "नशा–मुक्त क्षेत्र" घोषित करने का प्रावधान शामिल है। साथ ही, इसमें यह भी अनिवार्य किया गया है कि किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट स्कूल के प्रमुख या नोडल शिक्षक द्वारा संबंधित स्थानीय अधिकारियों (पुलिस सहित) को दी जाए, ताकि उन पर उचित कार्यवाही की जा सके। इस कार्ययोजना में निरंतर जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम, स्कूली माहौल में निवारक शिक्षा का समावेश, शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों की क्षमता निर्माण, साथियों के नेतृत्व वाली पहलों के माध्यम से छात्रों की सक्रिय भागीदारी, और IEC उपायों (जैसे पोस्टर, नशामुक्त क्षेत्र के लिए संकेत बोर्ड और रचनात्मक अभियान) का उपयोग शामिल है।
4. उपर्युक्त के दृष्टिगत यह अत्यंत आवश्यक है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 3 वर्षीय कार्य योजना (Action Plan) के कार्यान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। अतः इस कार्य योजना को बिना किसी विलंब के सभी स्कूलों– जिनमें निजी स्कूल भी शामिल हैं, तक पहुँचाया जाए, और इसे एक समय–सीमा के भीतर तथा परिणाम–उन्मुख तरीके से लागू किया जाए। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला नोडल अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं। साथ ही, प्रगति की समय–समय पर निगरानी और समीक्षा के लिए एक सुदृढ़ तंत्र स्थापित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में, संबंधित विभागों और एजेंसियों– जैसे कि पुलिस, नारकोटिक्स कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ, स्थानीय प्रशासन आदि के साथ उचित तालमेल (convergence) बिठाते हुए, समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए।
5. यह अपेक्षा है कि इस पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी, ताकि ज़मीनी स्तर पर सार्थक परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। साथ ही, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा समय–समय पर Action Taken Report प्रेषित की जाय।

3– सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा तैयार की गयी उपर्युक्त 03 वर्षीय कार्ययोजना में माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों से सम्बन्धित बिन्दु निम्नवत् हैं:–

Sr. No.	What to do	How to do	Who will do	Financial Year
01	तंबाकू और नशा–मुक्त घोषित करने वाले स्कूलों के लिए एक समर्पित **"नशा मुक्त विद्यालय"** पोर्टल का शुभारंभ।	DoSEL द्वारा एक पोर्टल– "नशा मुक्त विद्यालय" लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य स्कूलों में "नशा मुक्त क्षेत्र" (Drug Free Zone) और ToFEI नियमों के पालन की निगरानी करना है। UDISE के तहत पंजीकृत सभी स्कूल–चाहे वे सरकारी हों, सरकारी सहायता प्राप्त हों या निजी प्रबंधन के अधीन हों, इन नियमों के पालन की रिपोर्ट देंगे।	DoSEL /States/UTs/ Schools	2026–27
02	सभी शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर के दायरे को "नशा मुक्त क्षेत्र" (Drug Free Zone) घोषित किया	9वीं Apex NCORD बैठक में जारी निर्देशों के अनुसार, शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर के दायरे को "नशा मुक्त क्षेत्र" (Drug Free Zone) घोषित किया जाएगा। स्कूल के प्रवेश द्वार या	Schools/ Local Police /District Narcotics Law Enforcement Agencies/local	2026–27, 2027–28 एवं 2028–29

Sr. No.	What to do	How to do	Who will do	Financial Year
	जाएगा।	बाहर एक साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर यह लिखा होगा कि 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ की बिक्री या सेवन प्रतिबंधित है। उल्लंघन की स्थिति में, इसकी सूचना पुलिस या नशीले पदार्थों से संबंधित कानून लागू करने वाली एजेंसियों को दी जाएगी।	administration	
03	जागरूकता और व्यवहारगत परिवर्तन पर केंद्रित PM e-Vidya TV चैनलों के माध्यम से "परिचर्चा" सत्रों का निरंतर संचालन।	"परिचर्चा" सत्रों को पूरे भारत में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को मनो–सामाजिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, खुशहाली और समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। बच्चों में जागरूकता लाने और उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इन सत्रों को जारी रखा जाएगा।	NCERT – organizer & Participation by School Boards (State, Centre & Private)	2026–27, 2027–28 एवं 2028–29
04	MyGov प्लेटफॉर्म पर छात्रों और अभिभावकों को लक्षित करते हुए समय–समय पर जागरूकता अभियान।	तंबाकू और नशीले पदार्थों से संबंधित विषयों पर आधारित जागरूकता और संवेदीकरण गतिविधियां/प्रतियोगिताएं समय–समय पर MyGov प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाएंगी।	DoSEL/ NCERT States/UTs	2026–27, 2027–28 एवं 2028–29
05	विश्व तंबाकू निषेध दिवस (31 मई) और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस (26 जून) का वार्षिक राष्ट्रव्यापी आयोजन।	हर साल स्कूलों में "विश्व तंबाकू निषेध दिवस" (31 मई) और "नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस" (26 जून) मनाया जाता है, तथा 31 मई को "विश्व तंबाकू निषेध दिवस" के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।	DoSEL/ States/UTs/ NCERT/ CBSE	2026–27, 2027–28 एवं 2028–29

4– **उक्त के सम्बन्ध में आपको निम्नवत् निर्देश प्रदान किये जाते हैं:–**

- ❖ शैक्षणिक संस्थानों में नशा मुक्त भारत अभियान के कार्यान्वयन हेतु स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा तैयार की गयी 03 वर्षीय कार्ययोजना के कार्यान्वयन हेतु जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।
- ❖ नोडल अधिकारी द्वारा प्रश्नगत कार्ययोजना अपने अधीनस्थ समस्त माध्यमिक विद्यालयों के साथ साझा की जायेगी।
- ❖ नोडल अधिकारी द्वारा कार्ययोजना के उपरिवर्णित गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु अपने अधीनस्थ समस्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों के साथ भौतिक अथवा वर्चुअल बैठक आहूत कर आवश्यक निर्देश प्रदान किये जाये।
- ❖ नोडल अधिकारी द्वारा उक्त तालिका के क्र0सं0– 02 पर उल्लिखित गतिविधि "सभी शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर के दायरे को "नशा मुक्त क्षेत्र" (Drug Free Zone) घोषित किया जाएगा" के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ समस्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों को इस आशय के निर्देश

दिये जाये कि संबंधित विभागों और एजेंसियों– जैसे कि पुलिस, नारकोटिक्स कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ, स्थानीय प्रशासन आदि के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालयों के 500 मीटर के दायरे को "नशा मुक्त क्षेत्र" घोषित किये जाने के लिये तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाय।

- ❖ उक्त के सम्बन्ध में समय–समय पर भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों को आपके साथ साझा किया जायेगा।
- ❖ नोडल अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही का अभिलेखीकरण कराते हुए सूचना निदेशालय के ई–मेल (desecedu@gmail.com) पर उपलब्ध करायी जायेगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय,

डॉ0 (महेन्द्र देव)
शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0सं0: शिविर/ /2026–27, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निदेशक, पॉलिसी एनालिसिस एण्ड कम्यूनिटी एन्गेजमेंट सेक्सन, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–03, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. संयुक्त शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश को प्रभावी अनुश्रवण हेतु।

डॉ0 (महेन्द्र देव)
शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ई–मेल

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः शिविर/ /2026–27 दिनांक 08 मई, 2026

विषयः **शैक्षणिक संस्थानों में नशा मुक्त भारत अभियान के कार्यान्वयन हेतु 03 वर्षीय कार्ययोजना के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ संख्याः DGSE No 2749 दिनांक 29 मार्च, 2026 के माध्यम से प्राप्त निदेशक, नीति विश्लेषण और सामुदायिक सहभागिता अनुभाग, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्याः 28-1/2026-PACE-Part (1) दिनांक 24 मार्च, 2026 **(छायाप्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में नशा मुक्त भारत अभियान के कार्यान्वयन हेतु 03 वर्षीय कार्ययोजना एवं सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्याः 28-1/2026-PACE-Part (1) दिनांक 20 मार्च, 2026 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए कार्ययोजना का अनुपालन कराये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं।

2– सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 20 मार्च, 2026 में मुख्य रूप से निम्न तथ्यों का उल्लेख है:–

1. बच्चों और युवाओं में नशीले पदार्थों का सेवन देश में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक चिंता के रूप में उभरा है, जिसके लिए समन्वित और निरंतर हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से AIIMS द्वारा किए गए "भारत में नशीले पदार्थों के उपयोग का विस्तार (2019)" नामक रिपोर्ट के अनुसार, नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों का एक बड़ा हिस्सा किशोर और युवा आयु वर्ग से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (GYTS–4) के अनुसार 13–15 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 8.5 प्रतिशत स्कूली छात्र किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, जो मुख्यतः नशीले पदार्थों के सेवन के अन्य रूपों की ओर ले जाने का एक माध्यम (gateway) बन जाता है। यह निष्कर्ष स्कूली शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रारम्भिक निवारक हस्तक्षेपों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
2. नार्को–कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की 9वीं शीर्ष बैठक में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की बढ़ती घटनाओं पर विचार–विमर्श किया गया। यह बैठक माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में, भारत सरकार के सभी विभागों को 2029 तक के लिए एक रोडमैप तैयार करना चाहिए और इसके कार्यान्वयन के लिए एक समय–सीमा आधारित समीक्षा तंत्र स्थापित करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि युवाओं का स्वास्थ्य, उनकी सोचने और काम करने की क्षमता, और समाज में बढ़ता असंतोष– ये सभी इस समस्या से जुड़े हुए हैं। यह घोषणा की गई कि दिनांक 31 मार्च, 2026 से शुरू होकर, सभी संबंधित विभाग मिलकर इस समस्या के खिलाफ तीन वर्ष का एक सामूहिक अभियान चलाएंगे। इस अभियान में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के सभी स्तंभों की कार्यप्रणाली को परिभाषित किया जाएगा, लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, और समय–सीमा के भीतर समीक्षाएं की जाएंगी। इसलिए, NCORD की शीर्ष बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि आगामी तीन वर्षों के दौरान, इसमें सम्मिलित सभी संबंधित पक्षों को देश में नशीले पदार्थों के खिलाफ सभी मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी, भारत को **"नशा मुक्त भारत"** बनाना होगा, और देश के युवाओं को नशीले पदार्थों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा।

3. उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में, **"नशा मुक्त भारत अभियान"** के अन्तर्गत एक व्यापक और व्यवस्थित तीन–वर्षीय कार्य योजना **(छायाप्रति संलग्न)**, शैक्षणिक संस्थानों में कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई है। इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया जा रहा है, ताकि वे इसे मिशन मोड में अपना सकें। इस कार्य योजना में, अन्य बिन्दुओं के अलावा, स्कूलों के 500 मीटर के दायरे वाले क्षेत्र को "नशा–मुक्त क्षेत्र" घोषित करने का प्रावधान शामिल है। साथ ही, इसमें यह भी अनिवार्य किया गया है कि किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट स्कूल के प्रमुख या नोडल शिक्षक द्वारा संबंधित स्थानीय अधिकारियों (पुलिस सहित) को दी जाए, ताकि उन पर उचित कार्यवाही की जा सके। इस कार्ययोजना में निरंतर जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम, स्कूली माहौल में निवारक शिक्षा का समावेश, शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों की क्षमता निर्माण, साथियों के नेतृत्व वाली पहलों के माध्यम से छात्रों की सक्रिय भागीदारी, और IEC उपायों (जैसे पोस्टर, नशामुक्त क्षेत्र के लिए संकेत बोर्ड और रचनात्मक अभियान) का उपयोग शामिल है।
4. उपर्युक्त के दृष्टिगत यह अत्यंत आवश्यक है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 3 वर्षीय कार्य योजना (Action Plan) के कार्यान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। अतः इस कार्य योजना को बिना किसी विलंब के सभी स्कूलों– जिनमें निजी स्कूल भी शामिल हैं, तक पहुँचाया जाए, और इसे एक समय–सीमा के भीतर तथा परिणाम–उन्मुख तरीके से लागू किया जाए। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला नोडल अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं। साथ ही, प्रगति की समय–समय पर निगरानी और समीक्षा के लिए एक सुदृढ़ तंत्र स्थापित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में, संबंधित विभागों और एजेंसियों– जैसे कि पुलिस, नारकोटिक्स कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ, स्थानीय प्रशासन आदि के साथ उचित तालमेल (convergence) बिठाते हुए, समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए।
5. यह अपेक्षा है कि इस पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी, ताकि ज़मीनी स्तर पर सार्थक परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। साथ ही, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा समय–समय पर Action Taken Report प्रेषित की जाय।

3– सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा तैयार की गयी उपर्युक्त 03 वर्षीय कार्ययोजना में माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों से सम्बन्धित बिन्दु निम्नवत् हैं:–

Sr. No.	What to do	How to do	Who will do	Financial Year
01	तंबाकू और नशा–मुक्त घोषित करने वाले स्कूलों के लिए एक समर्पित **"नशा मुक्त विद्यालय"** पोर्टल का शुभारंभ।	DoSEL द्वारा एक पोर्टल– "नशा मुक्त विद्यालय" लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य स्कूलों में "नशा मुक्त क्षेत्र" (Drug Free Zone) और ToFEI नियमों के पालन की निगरानी करना है। UDISE के तहत पंजीकृत सभी स्कूल–चाहे वे सरकारी हों, सरकारी सहायता प्राप्त हों या निजी प्रबंधन के अधीन हों, इन नियमों के पालन की रिपोर्ट देंगे।	DoSEL /States/UTs/ Schools	2026–27
02	सभी शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर के दायरे को "नशा मुक्त क्षेत्र" (Drug Free Zone) घोषित किया	9वीं Apex NCORD बैठक में जारी निर्देशों के अनुसार, शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर के दायरे को "नशा मुक्त क्षेत्र" (Drug Free Zone) घोषित किया जाएगा। स्कूल के प्रवेश द्वार या	Schools/ Local Police /District Narcotics Law Enforcement Agencies/local	2026–27, 2027–28 एवं 2028–29

Sr. No.	What to do	How to do	Who will do	Financial Year
	जाएगा।	बाहर एक साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर यह लिखा होगा कि 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ की बिक्री या सेवन प्रतिबंधित है। उल्लंघन की स्थिति में, इसकी सूचना पुलिस या नशीले पदार्थों से संबंधित कानून लागू करने वाली एजेंसियों को दी जाएगी।	administration	
03	जागरूकता और व्यवहारगत परिवर्तन पर केंद्रित PM e-Vidya TV चैनलों के माध्यम से "परिचर्चा" सत्रों का निरंतर संचालन।	"परिचर्चा" सत्रों को पूरे भारत में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को मनो–सामाजिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, खुशहाली और समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। बच्चों में जागरूकता लाने और उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इन सत्रों को जारी रखा जाएगा।	NCERT – organizer & Participation by School Boards (State, Centre & Private)	2026–27, 2027–28 एवं 2028–29
04	MyGov प्लेटफॉर्म पर छात्रों और अभिभावकों को लक्षित करते हुए समय–समय पर जागरूकता अभियान।	तंबाकू और नशीले पदार्थों से संबंधित विषयों पर आधारित जागरूकता और संवेदीकरण गतिविधियां/प्रतियोगिताएं समय–समय पर MyGov प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाएंगी।	DoSEL/ NCERT States/UTs	2026–27, 2027–28 एवं 2028–29
05	विश्व तंबाकू निषेध दिवस (31 मई) और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस (26 जून) का वार्षिक राष्ट्रव्यापी आयोजन।	हर साल स्कूलों में "विश्व तंबाकू निषेध दिवस" (31 मई) और "नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस" (26 जून) मनाया जाता है, तथा 31 मई को "विश्व तंबाकू निषेध दिवस" के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।	DoSEL/ States/UTs/ NCERT/ CBSE	2026–27, 2027–28 एवं 2028–29

4– **उक्त के सम्बन्ध में आपको निम्नवत् निर्देश प्रदान किये जाते हैं:–**

- ❖ शैक्षणिक संस्थानों में नशा मुक्त भारत अभियान के कार्यान्वयन हेतु स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा तैयार की गयी 03 वर्षीय कार्ययोजना के कार्यान्वयन हेतु जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।
- ❖ नोडल अधिकारी द्वारा प्रश्नगत कार्ययोजना अपने अधीनस्थ समस्त माध्यमिक विद्यालयों के साथ साझा की जायेगी।
- ❖ नोडल अधिकारी द्वारा कार्ययोजना के उपरिवर्णित गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु अपने अधीनस्थ समस्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों के साथ भौतिक अथवा वर्चुअल बैठक आहूत कर आवश्यक निर्देश प्रदान किये जाये।
- ❖ नोडल अधिकारी द्वारा उक्त तालिका के क्र0सं0– 02 पर उल्लिखित गतिविधि "सभी शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर के दायरे को "नशा मुक्त क्षेत्र" (Drug Free Zone) घोषित किया जाएगा" के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ समस्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों को इस आशय के निर्देश

दिये जाये कि संबंधित विभागों और एजेंसियों– जैसे कि पुलिस, नारकोटिक्स कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ, स्थानीय प्रशासन आदि के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालयों के 500 मीटर के दायरे को "नशा मुक्त क्षेत्र" घोषित किये जाने के लिये तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाय।

- ❖ उक्त के सम्बन्ध में समय–समय पर भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों को आपके साथ साझा किया जायेगा।
- ❖ नोडल अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही का अभिलेखीकरण कराते हुए सूचना निदेशालय के ई–मेल (desecedu@gmail.com) पर उपलब्ध करायी जायेगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय,

डॉ0 (महेन्द्र देव)
शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0सं0: शिविर/ 5124-5222 /2026–27, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निदेशक, पॉलिसी एनालिसिस एण्ड कम्यूनिटी एन्गेजमेंट सेक्सन, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–03, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. संयुक्त शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश को प्रभावी अनुश्रवण हेतु।

डॉ0 (महेन्द्र देव)
शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

DGSE No. 2749
Date. 29/03/26

F. No.28-1/2026-PACE-Part(1)
Government of India
Ministry of Education
Department of School Education and Literacy
Policy Analysis and Community Engagement (PACE) Section
*****

Shastri Bhawan, New Delhi
Date: 24th March, 2026

To

1. **The ACS/Principal Secretaries/Secretaries, School Education of all States/UTs**
2. **The ACS/Principal Secretaries/Secretaries, Home Department, of all States/UTs**
3. **The Director, NCERT**
4. **The Chairman, CBSE**
5. **The Head- International School Boards in India [ICSE, Cambridge International Education, International Baccalaureate (IB)]**
6. **The Heads of State School Education Boards, All States/UTs**

Subject: Forwarding of the Joint DO letter dated 20.03.2026 regarding the Three-Year Action Plan of DoSEL under Nasha Mukt Bharat Abhiyan for implementation in Educational Institutions-reg.

Respected Sir/Madam,

I am directed to forward herewith the Joint D.O. letter dated 20.03.2026 from Home Secretary, Ministry of Home Affairs and Secretary, Department of School Education & Literacy, along with the enclosed Three-Year Action Plan under Nasha Mukt Bharat Abhiyan for implementation in Educational Institutions.

2. The Three-Year Action Plan has been developed in pursuance of the directions of the 9th Apex Committee of Narco-Coordination Centre (NCORD) held under the chairmanship of Hon'ble Union Home Minister to adopt a coordinated, time-bound and mission-mode approach to address substance abuse among children and youth. The Plan envisages targeted interventions through schools, recognizing them as critical platforms for early prevention.

3. This issue with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,
24/03/26
(M.L. Meena)
Director
Email: ml.meena29@gov.in

Encl. as above.:
Copy forwarded for information to:

i. All Bureau Heads, DoSEL
ii. The Heads of Autonomous Bodies- NCTE, NIOS, KVS, NVS
iii. The Director, School Education of all States/UTs
iv. The State Project Director, Samagra Shiksha of all States/UTs
v. The Director, SCERT of all States/UTs
vi. The Head-Department of Education in Social Science (DESS), NCERT
vii. The Head-Manodarpan Cell, Dept. of Educational Psychology and Foundations of Education, NCERT
viii. The State Nodal Officers, ToFEI of all States/UTs
ix. PMU-ToFEI, DOSEL

Govind Mohan
Home Secretary
Ministry of Home Affairs,
Government of India
E-mail- hshso@nic.in
Tel. 24010001

सत्यमेव जयते

Sanjay Kumar
Secretary,
Department of School Education & Literacy,
Government of India
E-mail –secy.sel@nic.in
Tel. 24015101

D.O. No. 28-1/2026-PACE-Part(1)

20th March, 2026

Dear Chief Secretary,

Substance abuse among children and youth has emerged as a serious public health and social concern in the country, necessitating coordinated and sustained interventions. As per the report "Magnitude of Substance Use in India (2019)" conducted by AIIMS in collaboration with the Ministry of Social Justice & Empowerment, a significant proportion of substance users belong to the adolescent and young age group. Further, the Global Youth Tobacco Survey (GYTS-4) indicates that around 8.5% of school students in the age group of 13–15 years are using tobacco in some form, which often acts as a gateway to other forms of substance abuse. These findings underline the urgent need for early preventive interventions through the school education system.

2. The rising incidence of substance abuse was deliberated at the 9th Apex Meeting of Narco-Coordination Centre (NCORD) held under the Chair of Hon. Union Home Minister Shri. Amit Shah, wherein it was emphasized that in the fight against drugs, all departments of the Government of India should prepare a roadmap upto 2029 and establish a time-bound review mechanism for its implementation. He emphasized that the health of the youth, their ability to think and perform, and the growing discontent in society are all linked to this problem. It was announced that beginning from March 31, 2026, all stakeholder Departments will together launch a three-year collective campaign against this problem, in which the working methodology of all pillars against drug abuse will be defined, targets will be set, and time-bound reviews will be conducted. The 9th Apex meeting of NCORD has therefore decided that over the next three years, all stakeholders involved have to fight on all fronts against drugs across the country and make India a '**Drug-Free India**', and make every effort to protect the country's youth from drugs.

3. In pursuance of the above directions, a comprehensive and structured three-year Action Plan under the *Nasha Mukt Bharat Abhiyan* has been developed for implementation in the educational institutions and is being shared with all States and Union Territories (copy enclosed) for adoption in mission mode. The Action Plan, inter

alia, incorporates provisions for declaring the area within a **500-metre radius of schools** as **drug-free zones**, and mandates reporting of any violations by the Head of School/nodal teacher to the concerned local authorities, including the police, for appropriate action. The Action Plan adopts a holistic and convergent approach, encompassing sustained awareness and sensitization programmes, integration of preventive education within the school environment, capacity building of teachers and school heads, active engagement of students through peer-led initiatives, and the use of IEC interventions such as posters, signage boards for drugs free area and creative campaigns. It also envisages strengthened linkages with health systems, counselling support and local administration, supported by a clearly defined monitoring and reporting framework at school, district and state levels.

4. In view of the above, it is imperative that the States/UTs accord the highest priority to the implementation of the 3 year Action Plan. It is therefore, requested that the Action Plan is disseminated to all schools including Private schools without delay and implemented in a time-bound and result-oriented manner. The States/UTs may also designate dedicated State and District Nodal Officers for effective coordination and establish a robust mechanism for periodic monitoring and review of progress, with due convergence across relevant departments and agencies such as Police / Narcotics Law Enforcement Agencies/local administration etc. by timely reporting.

5. Given the seriousness of the issue, it is expected that the implementation of this initiative will be closely supervised at the appropriate level so as to ensure meaningful outcomes on the ground and States/UTs are requested to furnish an Action Taken Report to the concerned Department in a timely manner. The collective and sustained efforts of all stakeholders will be critical in creating a safe, healthy and substance-free environment for our children.

6. We look forward to your continued support and cooperation in this important national endeavour.

With regards,

(Govind Mohan)

(Sanjay Kumar)

Encl: as above

The Chief Secretaries of all States/UTs.

Nasha Mukt Bharat Abhiyan

(Implementation of 3 years Action Plan for making Educational Institutions Nasha Mukt Bharat by March 2029)

Department of School Education & Literacy
Ministry of Education
Govt. of India

3-Year Action Plan for States/UTs & ABs- D/o School Education & Literacy

Sr. No.	What to Do?	How to Do?	Who will Do?
1.	**Launch of a dedicated "Nasha Mukt Vidyalaya" portal for schools declaring themselves tobacco and drugs free.**	A portal- "Nasha Mukt Vidyalaya"- to be launched by DoSEL for monitoring implementation of Drug Free Zone/ToFEI compliance in schools. Schools registered under UDISE+, government/govt-aided & private management, will report compliance.	DoSEL /States/UTs/ Schools
2.	**A 500-meter radius around all educational institutions shall be declared a "Drug-Free Zone".**	As per the direction issued in the 9th Apex NCORD meeting, the 500-meter radius around educational institutions shall be declared as "Drugs Free Zone". A signage board on the entrance/outside of the school shall be mandatorily placed conveying that selling/consumption of any kinds of drugs is prohibited within the radius of 500 meter. In case of violation, the same shall be reported to the police/Narcotic Law Enforcement Agencies.	Schools/ Local Police /District Narcotics Law Enforcement Agencies/local administration
3.	**Integration of age-appropriate curriculum on substance abuse prevention into Life Skills/ Health Education.**	Already embedded in the NCERT curriculum from the Middle Stage onwards and in the CBSE Life Skills curriculum across all schooling levels. Now, State Boards will also be requested to ensure its integration through adaptation or adoption.	DoSEL/ NCERT/ States/UTs

3-Year Action Plan for States/UTs & ABs- D/o School Education & Literacy

Sr. No.	What to Do?	How to Do?	Who will Do?
4.	**Development of standardized IEC material on tobacco, drugs and substance abuse**	Standardised IEC material on tobacco, drugs and substance abuse for students, teachers and parents including posters, handbooks, documentaries and films in collaboration with NCERT, and translation and contextualization of the material into regional languages through SCERTs shall be developed.	DoSEL/ NCERT/ States/UTs/ SCERTs
5.	**Development of a training module for teachers on early identification, referral mechanisms, classroom strategies and implementation of ToFEI manual and drugs free schools including self-declaration of Nasha Mukt Vidyalaya portal.**	Step-1 A training module for teachers will be developed covering various chapters/lessons such as early identification of children at risk of substance use, referral mechanisms, classroom strategies on handling victims of substance abuse, implementation of the ToFEI manual, and the Drug-Free Schools advisory, including the process for filling the Nasha Mukt Vidyalaya portal checklist for self-declaration. Step-2 Capacity building of Teachers	DoSEL/ NCERT/ SCERTs & States/UTs

3-Year Action Plan for States/UTs & ABs- D/o School Education & Literacy

Sr. No.	What to Do?	How to Do?	Who will Do?
6.	**Development of a dedicated Teacher Handbook/ Guide for effective implementation of ToFEI/ substance abuse guidelines within school premises.**	An implementation handbook/ Guide to keep the instructions handy for the School Head/Nodal teachers for tobacco & drugs related sensitization activities including handling victims of substance abuse within classrooms.	NCERT
7.	**Inclusion of a module in pre-service teacher training (B.Ed., D.El.Ed.) including on the job annual training of teachers under Samagra Shiksha**	Training module shall be developed and included in the pre-service teacher training (B.Ed., D.El.Ed.) and in-service training of teachers under Samagra Shiksha and by NCERT.	DoSEL/ NCTE/ States/UTs
8.	**Upgradation of the content on tobacco, substance abuse and alcohol abuse in the School Health Programme by NCERT and widen the reach of Manodarpan portal**	A Working Group of Stakeholder Departments comprising of representatives from DoSEL, NCB, Ministry of Health & Family Welfare, NCERT and Ministry of Social Justice & Empowerment to upgrade the existing IEC material on tobacco, substance and alcohol abuse under the school health program to make it more relevant to the current context.	DoSEL/ NCERT

3-Year Action Plan for States/UTs & ABs- D/o School Education & Literacy

Sr. No.	What to Do?	How to Do?	Who will Do?
9.	**Continuation of Paricharcha sessions through PM e-Vidya TV channels focusing on awareness and behavioural change**	Paricharcha sessions are designed to provide psycho-social support to students, teachers, and parents across India, focusing on mental health, well-being, and holistic development. These sessions shall be continued for awareness and behavioural change in the children.	NCERT – organizer & Participation by Schools School Boards (State, Centre & Private)
10.	**Periodic awareness campaigns on MyGov platform targeting students and parents.**	Awareness and Sensitization activities/competition focused on the themes related to tobacco and drugs shall be organised on MyGov platform time to time.	DoSEL/ NCERT States/UTs
11.	**Annual nationwide observance of World No Tobacco Day (31st May) and International Day against Drug Abuse (26th June)**	Observance of World No Tobacco Day (31 May) and International Day against Drug Abuse (26th June) every year in schools and national level program on 31st May for World No Tobacco Day.	DoSEL/ States/UTs/ NCERT/ CBSE

Timeline & Milestones (2026–2029) for implementation of Action Plan

Year	Focus Area	Key Stakeholders	Milestone
2026–27	Portal launch; development of IEC materials; curriculum strengthening; teacher training module & handbook development; declaration of schools as Drugs-Free Zones; operationalization of MoU; initiation of awareness campaigns; monitoring and periodic review	Implementation by DoSEL: through NCERT/ CBSE/Pvt School Boards/ NCTE/ States/UTs/Schools Stakeholder Support: in developing IEC, Sensitization sessions- MoHFW, DoSJE, NCB & Civil Society Organizations (CSOs)	40 to 50% schools ToFEI compliant & Drugs Free
2027–28	Scale-up of teacher training (cascading mode); translation & contextualization of IEC through SCERTs; declaration of schools as Drugs-Free Zones; expansion of Manodarpan outreach; convergence with line Ministries; mid-term & periodic review/ documentation.		75% schools ToFEI compliant & Drugs Free
2028–29	Full implementation across States/UTs; pre-service & on the job training; sustained behaviour change campaigns; strengthened rehabilitation linkages; periodic review/documentation.		100% ToFEI compliance & Drugs Free

Monitoring & Review Mechanism- D/o School Education & Literacy

Level	Monitoring Instrument	Frequency
National (DoSEL)	Bi-annual review chaired by Competent Authority (DoSEL)	Twice yearly
DoSEL (Division Level)	Digital dashboard & quarterly review meetings with States/UTs on the implementation	Quarterly
State Level	District compliance verification & reporting	Monthly/Quarterly
District Level	DM level district NCORD Committee Review meeting, field verification by visiting schools and review their compliance report.	Monthly/Quarterly

THANK YOU!